18/8/23

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील कार्य हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 198 / 2022

प्रार्थीगण :—

1. जवाराराम वल्द सरदारा
2. मोडूराम वल्द सरदारा
3. पाताराम वल्द भारता
4. मांगाराम वल्दभारता
   जाति पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. चिमनाराम वल्द दूदाराम
2. रम्भादेवी पत्नी भगाराम
3. हस्तुदेवी पत्नी अमराराम
4. गोकलाराम वल्द दूदाराम
5. मेहराजराम वल्द खेराजराम
6. शेराराम वल्द खेराजराम
7. हेमीदेवी पत्नी खेराजराम
8. पूनमाराम वल्द रतनाराम
   जाति जाट निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
9. खीमराज वल्द रतनाराम
10. गणेशाराम वल्द रतनाराम कौम कलबी निवासी सोढों की ढाणी
11. गोदाराम वल्द धूंका
12. घमाराम वल्द धूंका
13. पारू पत्नी धूंका
14. भूपाराम वल्द धूंका
15. वागाराम वल्द धूंका
    जाति पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी
16. अनाराम वल्द परतापा
17. चनणीदेवी पत्नी नेथीराम
18. छोगा वल्द भोमा
19. प्रबता वल्दकेसा
20. बाबू वल्द केसा
21. मांगी पत्नी परतापा
22. रामा वल्द परतापा
23. रामाराम वल्द नेथीराम
24. लूम्बाराम वल्द परतापा
25. शंकरा वल्द केसा
    जाति पुरोहित निवासी मघाणी मेघवालों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
26. कुम्भाराम वल्द दानाराम
27. खुशालाराम वल्द बनाराम
28. जगराम वल्द मावाराम
29. जमना पत्नी मावाराम
30. नाथाराम वल्द दानाराम
31. पाताराम वल्द हरजीराम
32. बादली पत्नी दानाराम
33. बाबूराम वल्द हरजी
34. मेघाराम वल्द बनाराम
35. मोडाराम वल्द बनाराम
36. मोडाराम वल्द हरजी
37. रणछाराम वल्द दानाराम
38. शंकरलाल पुत्र मावाराम
    जाति भांभी (मेघवाल) निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
39. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्द अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपस्थित
1. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 16 ता 25

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 18.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 16 ता 25 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 11.4526 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 25 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जबाव मय आपत्ति पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की खातेदारी के मध्य पुरानी माठें बनी हुई हैं, सीमाओं का किसी प्रकार का विवाद नहीं है इसलिये प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे। चूंकि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं वकील प्रार्थीगण की बहस के अनुसार वक्त काश्त सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 11.4526 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा** को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...18/8/23.......... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद / 2023 / 935

दिनांक : 21/8/23

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

जवाराराम चिमनाराम वगैरा

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......198 / 2022..

निर्णय दिनांक :– **18.08.2023**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **सोढों की ढाणी** के खेत खसरा नम्बर 354 रकबा 11.4526 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक रतनपुरा**.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....**1000 / –**...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांकः वाद / 2023 / 936-37

दिनांक : 21/8/23

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी..........गुड़ामालानी
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **रतनपुरा।**
4. हल्का पटवारी....**रतनपुरा.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........**जवाराराम वगैरा**
6. विप्रार्थीगण.........**चिमनाराम वगैरा....**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी